



डॉ० अजीत कुमार सिंह

वर्तमान परिवेश में कृषि श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति

असिं० प्रोफेसर—कृषि अर्थशास्त्र विभाग, एस.एम.एम. टाउन पी.जी. कॉलेज, बलिया (उप्र०), भारत

Received-02.03.2024,

Revised-07.03.2024,

Accepted-11.03.2024

E-mail: ajit737@gmail.com

सारांश: श्रमिक वर्ग हमारी जनसंख्या का न केवल एक महत्वपूर्ण अंग और विकास कार्यों से होने वाले लाभ का भागीदार है, बल्कि यह राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है। इस दृष्टिकोण से मिल कारखानों में काम करने वाले ही श्रमिक नहीं होते, बल्कि कृषि बागानों, खानों और निर्माण-कार्यों, ग्रामोद्योगों, छोटे उद्योगों एवं कृषि में काम करने वाले व्यक्ति भी श्रमिक होते हैं।

यद्यपि प्राचीन भारत में कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था, फिर भी कृषि-श्रमिकों का कोई वर्ग नहीं था। आज भी भारतवर्ष में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है, परन्तु कृषि श्रमिकों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। प्राचीन काल में कृषि कार्य में परिवार के सदस्य विशेषतया स्त्रियां और बच्चे हाथ बढ़ाते थे। अधिकांश परिवार के सदस्य मिल जुलकर स्वयं अपना कृषि कार्य कर लिया करते थे। कुछ कृषि कार्यों के लिए जैसे जुताई, बुआई, कटाई आदि के समय मजदूरों अर्थात् कृषि श्रमिकों को लगा दिया जाता है। कृषि के विकास के साथ-साथ कृषि पर आधारित जनसंख्या में विकास होने लगा। जनसंख्या की वृद्धि में कुछ ऐसे व्यक्तियों की भी वृद्धि होने लगी जिनके पास न कोई भूमि थी और न कोई अन्य साधन। इन कृषि श्रमिकों को कुटीर उद्योग या छोटे-छोटे कारखानों में इन्हीं उन्नति हुई कि भारत वर्ग को विश्व का औद्योगिक कार्यशाला के नाम से सम्मानित किया गया। औद्योगिक युग की सुदृढ़ता ने भारतीय कृषिपरक ढंगे को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां उसका प्राचीन अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय होता जा रहा है। इस परिवर्तन में पारिवारिक स्थिति को भी प्रभावित किया है।

कुंजीभूत शब्द— श्रमिक वर्ग, जनसंख्या, भागीदार, कृषि बागानों, निर्माण-कार्य, ग्रामोद्योग, व्यवसाय, जुताई, बुआई, कटाई।

नये उद्योगों का प्रादुर्भाव, पुराने उद्योगों का नवीनीकरण और मशीनीकरण के औद्योगिक जीवन को अत्यधिक सुदृढ़ कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती जा रही है और व्यक्ति कृषिपरक रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। कृषि श्रमिक अत्यधिक संख्या में रोजगार के लिए औद्योगिक नगरों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आधुनिक विद्वानों ने प्रयोगसिद्ध प्रमाणों के आधार पर पूर्व सैद्धान्तिक कथनों को चुनौती दी। इन प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि विकासशील समाजों में श्रमिक बहुत से औद्योगिक रोजगार को अपनाते जा रहे हैं। और ऐसी समस्याओं का अनुभव नहीं करते, जो नवीन श्रमिकों के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से अनुमानित की गयी थी।

कृषि श्रमिकों को अनेकानेक कारक अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी कृषि योग्य भूमि की कमी कृषि के विकास हेतु आपेक्षित साधनों की कमी ऋणग्रस्तता, कुटीर उद्योगों का विनाश, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित शिक्षा का अभाव, पारिवारिक कलह आदि उद्योगों का विनाश, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित शिक्षा का अभाव, पारिवारिक कलह आदि ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक नगरों की ओर पलायन हेतु प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं। आधुनिक औद्योगिक नगरों में रोजगार मिलने की सम्भावना के कारण संयुक्त परिवार के कनिष्ठ सदस्य बाहर जाने लगे हैं। ग्रामीण अंचलों से जब कोई व्यक्ति (कृषि श्रमिक) औद्योगिक नगर में रोजगार के लिए जाता है तो प्रारम्भ में उसका ध्यान रोजगार तक ही सीमित होता है, और वह आर्थिक समृद्धि के बाद ग्रामीण पारिवारिक जीवन में वापस जाने की आशा करता है लेकिन आगे चलकर जब वह औद्योगिक रोजगार में अधिक दक्ष हो जाता है और औद्योगिक तथा नगरीय जीवन की अन्य सुविधाओं का उपयोग करने लगता है तथा उसके रहन-सहन का तौर तरीका कुछ भिन्न हो जाता है तो वह औद्योगिक जीवन से विरत नहीं रहना चाहता है। किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसके लिए केवल जीवन यापन का एक तरीका मात्र नहीं है क्योंकि व्यवसाय में वह अपने प्रतिदिन के जीवन का लगभग एक तिहाई समय व्यतीत करता है। व्यवसाय द्वारा व्यक्ति की वेश-भूषा, आचार-व्यवहार, बातचीत, विवाह, मनोरंजन, सुख सुविधा, रहन-सहन आदि सम्बन्धों का प्रभाव पड़ता है।

कृषि श्रमिक पहले-पहल गाँव में अपने काम को अपने औजारों, अपने माल एवं स्वयं के श्रम द्वारा पूर्ण करता था लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण उसे मशीन की होड़ या प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। औद्योगिकरण शब्द उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसे हाथ के उपकरणों के प्रयोग से वस्तुओं का उत्पादन शक्ति संचालित संयंत्रों के उत्पादन में बदल दिया जाता है। इस परिवर्तन के साथ कृषि, यातायात तथा संचार की तकनीक और व्यापार एवं वित के संगठन में भी परिवर्तन आता है।

इस प्रकार कृषि श्रमिकों को काम तथा आजीविका की प्राप्ति हेतु अपने गाँव-गाँव तथा घर से कहीं दूर जाना पड़ता है। कमी-कमी तो उसे अपना घर बार-बार बदलना पड़ता है। इस प्रकार के परिवर्तन से उसका सामुदायिक जीवन भी प्रभावित होता है। कृषि श्रमिकों में जो भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, वे बहुत पिछड़े हुए होते हैं और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह पिछड़ापन इनको देखने को मिलता है। पिछड़ापन के सापेक्ष परिकल्पना है सामान्यतया पिछड़ेपन का बोध इससे किया जाता है कि अमुख क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। गुणवत्ता एवं साधनों की स्थिति विकास के स्तर में असमानताएं रुद्धिगत सामाजिक रीति रीवाज के परिप्रेक्ष्य में किसी क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन का आकलन किया जा सकता है। पिछड़ेपन की विवेचना में विकास की परिभाषा भी अन्तर्निहित है। इस परिभाषा में यदि आय का स्तर निर्धारित हो तो वेरोजगारी की स्थिति, प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर आदि परिकल्पित हैं तो इस आधार पर क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन अथवा समृद्धि का अनुमान लगाना होगा। पिछड़ेपन की परिकल्पना विकास की परिकल्पना



बहुमुखी है तथा उसका कोई ठोस मापक, निर्धारित करना सम्भव नहीं है। क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन के पीछे ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं मानवीय कारण भी हो सकते हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिकों का विकास गाँव में भौतिक कारणों से बाधित हुआ है।

परिवार, व्यक्ति की प्रथम सामाजिक संस्था है इसलिए निश्चय ही औद्योगिक रोजगार का प्रभाव कृषि श्रमिकों के पारिवारिक जीवन पर पड़ता है इस स्थिति में आने पश्चात कृषि श्रमिक धीरे-धीरे ग्रामीण परिवार के संगठन से अलग होकर नये एकांकी परिवार का सृजन करता है। इस परिवार-व्यवस्था में उसकी पली तथा बच्चों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाता है। ऐसी दशा में उसके परिवार के सदस्यों के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों का स्वरूप भी कुछ भिन्न हो जाता है। औद्योगिक रोजगार की स्थिति में स्त्रियों अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र हो जाती है। उनका आर्थिक दायित्व बढ़ जाता है। पति से उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। ग्रामीण अंचल में पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में तो परिवार के अन्य लोगों का सहयोग मिलता है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में स्त्रियों को सभी दायित्वों का अकेले ही निर्वहन करना पड़ता है। फलस्वरूप अपनी परिस्थिति के सन्दर्भ में वे अधिक जागरूक हो जाती हैं। उक्त स्थिति कृषि श्रमिकों में दृष्टिगोचर होती है।

आधुनिक युग में परिवार की संरचना तथा कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। इस परिवर्तनों से समाज का सम्पूर्ण ढांचा ही एक ऐसी दशा की ओर अग्रसर हो रहा है तथा एक ऐसे नवीन दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हो रहा है, जो प्राचीन परम्परागत पारिवारिक संरचना पद्धति को विकृत कर एकाकी परिवार का निर्माण कर रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार कुछ विशिष्ट अधिकारों पर आधारित था साथ ही साथ कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल कुछ राजनैतिक तथा धार्मिक परम्पराएं भी इसके भरण पोषण में सहायक थीं, परन्तु आज वे अधिकार भी समाप्त हो गये। परम्पराएं भी नष्ट हो गयीं और प्राचीन अर्थव्यवस्था का या तो आधुनिकीकरण हो गया या उसमें आमूल परिवर्तन हो गया, उसके स्थान पर आधुनिक परिवार अन्युदय हुआ है।

आज परिवार अपनी सम्पूर्ण कियाओं को करने में सक्षम नहीं रह गया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा पाश्चात्य शिक्षा के कारण परिवार का कार्य दूसरी संस्थाओं ने अधिकृत कर लिया है। प्राचीन काल में जब परिवार संयुक्त था तथा सत्ता परिवार के मुखिया के हाथ में निहित थी तब सम्पूर्ण कार्य परिवार में भी सम्पन्न हो जाते थे लेकिन बदलती हुई, आज की परिस्थितियों में संयुक्त परिवार दूटे। ऐसी दशा में एकाकी परिवार के सदस्यों का रोजगार के लिए बाहर जा कर आजीविका चलाना एवं आर्थिक रूप से उनका आत्मनिर्भर होना आवश्यक हो गया है। आज परिवार की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के बाहर होने लगी, जिसके कारण पारिवारिक कार्य प्रभावित हुए हैं। अपने प्रधान कार्य की पूर्ति में परिवार की सहायता करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन विकसित हो गये हैं।

कृषि श्रमिकों के स्थिति के निर्धारण में उसके आवास से सम्बन्धित तथ्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आवासीय क्षेत्र, आवास का स्वामित्व एवं आवास की प्रकृति वे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि व्यक्ति के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति की उच्चता या निम्नता के अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। सभी व्यक्तियों की आवासीय स्थिति समान नहीं होती। यह देखा गया है कि पर्याप्त एवं नियोजित आवास व्यक्ति के व्यवहार एवं दृष्टिकोणों पर प्रभाव डालता है। अधिकांशतः कृषि श्रमिकों के आवास व स्थान गन्दे पाये जाते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं—सड़क का अभाव, नालियों का कच्चा होना, स्थान-स्थान पर पानी के गड़डे होना। इस सबसे कृषि श्रमिकों का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहता है। समय-समय पर मलेरिया, टी०वी० जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप पाया जाता है। इन्हे पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे चिकित्सालय का अभाव रहता है। उनके सफाई तथा स्वास्थ्य का ज्ञान कम है। सामान्य रोगों की जानकारी उन्हे नहीं मिलती। वे स्वास्थ्य के नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं। इस प्रकार कृषि श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सफाई की समस्या बराबर बनी रहती है।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास निर्माण कार्यक्रम के अर्तागत इन गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था के बाद भी इनको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। इसका लाभ वही ग्रामीण ले पाते हैं जो आर्थिक रूप से सबल होते हैं, जबकि कृषि श्रमिकों की आवासीय समस्या बनी रहती है।

जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत आवास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भोजन तथा वस्त्र के बाद इसी का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कृषि श्रमिकों की आवासीय स्थिति बहुत ही सोचनीय है, जो कृषि श्रमिक सिर्फ मजदूरी पर ही निर्भर है, उनकी आवासीय स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। सामान्यतः कृषि श्रमिकों में यह देखने को मिलता है कि वे कृषि श्रमिक खेती के काम के अलावा अन्य प्रकार की भी मजदूरी का काम करते हैं। हमारा देश पाश्चात्य देशों की तुलना में इस दिशा में काफी पिछड़ा हुआ है। कृषि श्रमिकों की सम्यता, संस्कृति तथा आवासीय स्थिति का वास्तविक ज्ञान गाँव में बसने वाले श्रमिकों की दशा के अध्ययन से ही हो सकता है। एक समय था कि भारतीय गाँव आत्मनिर्भर तथा सम्पन्न था, परन्तु आज उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। श्रमिकों का प्राचीन गाँव नष्ट हो चुका है। कृषि-श्रमिकों का आवासीय जीवन विकृत हो गया है। शहरों की चमक दमक गाँवों में नजर नहीं आती है। ग्रामीण श्रमिकों के घर अधिकांशतः मिट्टी के बने होते हैं। घास-फूस के छप्पर नजर आते हैं। ग्रामीण के तन पर फटे, मैले वस्त्र दिखायी देते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सराहनीय भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोणों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। सन्तुलित व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक माध्यम है यह व्यक्ति के व्यवहारों को परिमार्जित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में समायोजित व्यवहार करता है और समाज उससे अपेक्षित व्यवहार चाहता है। शिक्षा व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, मनोवृत्तियों आदि को भी नियंत्रित रखती है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि श्रमिकों को ऋण भी लेना पड़ता है। ये ऋण मित्रों, महाजनों, रिश्तेदारों के साथ बैंकों



से भी लेते हैं, कुछ कृषि श्रमिकों को महाजनों से लिए गये ऋण का ब्याज भी देना पड़ता है, कुछ कृषि श्रमिक महाजनों का ऋण चुकता नहीं कर पाते हैं। कृषि श्रमिकों की विवशता का लाभ उठाकर महाजन, मालिक आदि उनका शोषण करते हैं। कभी—कभी तो वह अगली पीढ़ी के लिए भी ऋण का बोझ छोड़ जाता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण और आर्थिक विकास के नवीन कार्यक्रमों ने भारतीय समाज में जनसंख्या के स्थानान्तरण और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण कुछ श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवास किये और उसके फलस्वरूप कृषि श्रमिकों का नया स्वरूप बना है। कृषि श्रमिक आर्थिक रूप से परेशान होकर उसे प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है और जब आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, तो परिवार के बाहर हो जाता है। वर्तमान परिवेश में कृषि श्रमिक गाँवों में श्रम करने वजाय गाँवों के करीब नगर में मजदूरी करने जाने लगे हैं क्योंकि वहाँ उनके गाँव से ज्यादा पैसा मिलता है। इन कृषि श्रमिकों की स्थिति गाँव में श्रम करने वालों से बेहतर होती है।

कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीणों की आजीविका, सामाजिक सहायता और कल्याण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो अब स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, “सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना”, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जैसी गरीबी निवारण एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धपेशन, विधवा पेशन, एवं मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं से लाखों जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इसी प्रकार से कृषि एवं अन्य श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विशेष कल्याण कोशों की स्थापना की गयी है। इन सबके बावजूद ग्रामीण सहित कृषि श्रमिकों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

वर्तमान परिवेश में कृषि श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति सामान्य से न्यून स्तर की है जबकि सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति सामान्य स्तर की है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्त, गुरुदास दास, “आजाद और अममान भारत : गरीब लोगों के लिए कोई आशा नहीं” ट्रेड यूनियन रिकार्ड, 15 सितम्बर, 1999.
2. हांडा, सतीश, ‘कृषि श्रमिक एवं ज्वलंत समस्या’, रुक्षेत्र, फरवरी 1999, पृ० 31.
3. झा, भोगेन्द्र, “खेतिहार आन्दोलन की समस्याएं, कम्यूनिष्ट, जून 1979, पृ० 23.
4. डॉ० भालेराव, म००००, ‘भारतीय कृषि अर्थशास्त्र’, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
